न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या: 11/17/2026 GCMS **संख्या:** 2026/93
पेश दिनांक: 30-04-2026 **निर्णय दिनांक:** 21/5/2026

1– द्रोपती पत्नि श्यामनदास जाति ओड राजपूत निवासी झामूवास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। राज0

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार, किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

असल रेस्पोडेन्ट

2– अजय कुमार पुत्र श्यामनदास,
3– चिन्ट राज पुत्र श्यामनदास,
4– ज्योति पुत्री श्यामनदास,
5– प्रियका पुत्री श्यामनदास जाति ओड राजपूत निवासी झामूवास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। राज0

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील निर्णय विरूद्व तहसीलदार, किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 1100 वाके ग्राम बसई कलां तहसील किशनगढबास निर्णय दिनांक 21.10.2025

उपस्थिति:
1– श्री अब्दुल कलाम — वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार, किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1100 निर्णय दिनांक 21.10.2025 वाके ग्राम बसई कंला तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात श्यामनदास जाति ओड राजपूत निवासी झामूवास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। राज0 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट का पिता/पति है, जिनकी मृत्यु दिनाक 25.11.2024 को हो गयी। मृत्यु उपरान्त आराजी का विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र/आधार कार्ड/मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रतियॉ पेश कर मृतक श्यामनदास के वारिसान का विवरण पेश कर विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तकरण संख्या 1100 दिनाक 17.09.2025 वाके ग्राम बसई कला दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। जिस पर तहत अदालत ने यह नोट अंकित करते हुऐ खारिज कर दिया गया कि नामान्तकरण सर्वर सर्टिफिकेट से प्रमाणित है, पटवारी हल्का रिपोर्ट के अभाव में नामान्तकरण अस्वीकार किया जाता है। जबकि पटवारी हल्का द्वारा जॉच कर दस्तावेजो के आधार पर ही नामान्तकरण दर्ज किया गया है, तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, पारित निर्णय एकपक्षीय है। निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 10.04.2026 को पटवारी हल्का
से सम्पर्क करने पर हुई पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि नामान्तकरण खारिज किया जा चुका है। जिस
पर नकल हेतु आवेदन कर दिनाक 10.04.2026 को नकल प्राप्त कर बिना देरी के अपील पेश की गयी है।
अपील किये जाने में जो समय गुजरा है, वह जानकारी न होने पर गुजरा है, जिसे कन्डोन कये जाने हेतु
प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर
मियाद ग्रहण की जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय
निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर
मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। वकील
अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनाक 15.04.2026 को पेश की गयी है। जो करीब 05 माह
पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। हम अपील का निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण
किया जाना उचित नही समझते है, अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते
है। अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित
निर्णय दिनाक 21.10.2025 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 10.04.2026 को होना दर्शाया गया है। माननीय
न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्रष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख
अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
अपीलान्ट ने मुख्य कथन किया है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात श्यामनदास जाति ओड राजपूत
निवासी झामूवास तहसील किशनगढबास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, अपीलान्ट/तरतीबी
रेस्पोडेन्ट का पिता/पति है। दिनाक 25.11.2024 को देहान्त हो गया। मृत्यु उपरान्त आराजी का विरासत का
नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र/आधार कार्ड/मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रतियॉ पेश कर
मृतक श्यामनदास के वारिसान का विवरण पेश कर विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने का निवेदन किया
गया। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तकरण संख्या 1100 दिनाक
17.09.2025 वाके ग्राम बसई कला दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया
गया। जिस पर तहत अदालत ने यह नोट अंकित करते हुऐ खारिज कर दिया गया कि नामान्तकरण सर्वर
सर्टिफिकेट से प्रमाणित है, पटवारी हल्का रिपोर्ट के अभाव में नामान्तकरण खारिज किया है। तहत अदालत
के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तकरण मुताबिक दस्तावेजात के
आधार पर दिनाक 17.09.2025 को विधिवत दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष
पेश किया है, जिस पर अनावश्यक नोट अंकित करते हुऐ नामान्तकरण को खारिज किया गया है। पारित
निर्णय न्यायोचित नही है, खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार
किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 1100 वाके ग्राम बसई कला तहसील किशनगढबास
निर्णय दिनाक 21.10.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित
किया जाता है, कि अपीलान्ट/तरतीबी रेस्पोडेन्टान को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः जॉच कर
विधिवत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली
फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 21/5/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
[illegible]ारा (राजस्थान)